संख्या-14/2020-493/58-2020-203/2018

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 05 मार्च, 2020**

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना के अन्तर्गत तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्दांश की धनराशि के सापेक्ष वर्तमान की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-103/बजट/2019-20, दिनांक 26.02.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार के पत्र सं0-18-4/2017-एम आई डीएच, दिनांक 26.02.2020 द्वारा राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना के अन्तर्गत तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 1270.40 लाख एवं पूर्व में अवमुक्त हेतु अवशेष केन्द्रांश रू0 9.79 लाख, इस प्रकार कुल उपलब्ध केन्द्रांश रू0 1280.19 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0 853.46 लाख को सम्मिलित करते हुए अवमुक्त हेतु उपलब्ध हो रही धनराशि रू0 2133.65 लाख के सापेक्ष वर्तमान आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए रू01850.32 लाख (रूपये अट्ठारह करोड़ पचास लाख बत्तीस हजार) मात्र को निम्नलिखिति विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि की वित्तीय तथा प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

अनुदान सं0-10 लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.) **(धनराशि लाख रूपये में)**

कोड सं0/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त	अवमुक्त हेतु अवशेष धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
02-मजदूरी	60.00	35.00	25.00	
04-यात्रा व्यय	50.00	14.00	36.00	
08-कार्यालय व्यय	30.00	27.00	3.00	
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	40.00	13.00	27.00	
12- कार्यालय फर्नीचर और उपकरण	1.00	1.00	0.00	
13-टेलीफोन पर व्यय	20.00	2.30	17.70	
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	135.00	105.00	30.00	10.00
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.00	1.77	1.23	
18-प्रकाशन	45.00	45.00	0.00	
19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	25.00	25.00	0.00	
27-सब्सिडी	11000.00	7715.21	3284.79	1707.02
29-अनुरक्षण	10.00	10.00	0.00	
42-अन्य व्यय	250.00	82.00	168.00	60.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	40.00	20.00	20.00	
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	300.00	226.70	73.30	73.30

http://shasanadesh.up.gov.in

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर का क्रय	1.00	1.00	0.00	
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	45.00	21.00	24.00	
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	200.00	125.00	75.00	
योग—	**12255.00**	**8469.98**	**3785.02**	**1850.32**

(रूपये अट्ठारह करोड़ पचास लाख बत्तीस हजार मात्र)

(1) केन्द्रीय योजनाओं को ट्रेजरी के माध्यम से चलाये जाने के निर्णय के फलस्वरूप संदर्भित योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा गत वर्ष संशोधित नवीन पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश व राज्यांश के क्रमशः 60:40 प्रतिशत के अनुपात में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि व्यय की जायेगी। अतएव भारत सरकार से कार्ययोजना के अनुमोदन तथा केन्द्रांश की धनराशि की स्वीकृति निर्गत हो जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार आहरण की कार्यवाही की जाय।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष केन्द्रांश/राज्यांश का समायोजन किया जायेगा।

(4) प्रस्तर-1 में दी गयी शर्त के अनुसार नियमानुसार केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि का व्यय, भारत सरकार कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार के निहित प्राविधानों के तहत किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/1019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का व्यय जनपदवार भारत सरकार से स्वीकृत परिव्यय/योजना के अनुसार निर्धारित नवीन फन्डिंग पैटर्न के अनुरूप ही भारत सरकार से अनुमोदित कार्ययोजना के अन्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा इसमें किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(6) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

(8) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(9) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियंत्रक, उद्यान इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(10) भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक उद्यान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो वित्त नियंत्रक, उद्यान का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

(13) यदि विभाग द्वारा भारत सरकार/शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का विचलन किया जाता है, तो उसके लिए निदेशक, उद्यान/मिशन उद्यान तथा वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग एवं सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान सीधे उत्तरदायी होंगे।

(14) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

(15) वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29 मई 2012 द्वारा समस्त भुगतान **NEFT/RTGS** के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

(16) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

http://bhsanadesh.up.gov.in

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/1019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-14/2020-493(1)/58-2020, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सचिव भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि भवन नई दिल्ली को भारत सरकार के पत्र सं0-18-4/2017-एम0आई0डी0एच0,दिनांक 26-02-2020 के संदर्भ में।

(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

(3) महालेखाकार (लेखा परीक्षक), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

(4) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(5) समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

(6) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(7) समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।

(8) समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।

(9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।

(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in